न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 16/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 गेरोंदेवी पत्नी मूलाराम 2 शेरूदेवी पत्नी मुकनाराम 3 मीरादेवी पुत्री मुकनाराम 4 रामाराम पुत्र मुकनाराम जाति निवासी अमर आदर्श नगर, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।		1 खेमाराम 2 जेठीदेवी 3 तेजाराम पिसरान मुकनाराम 4 पन्नी पत्नी धर्माराम 5 रामू पुत्री धर्माराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पन्नी धर्माराम अप्रार्थी संख्या 04 6 रामाराम पुत्र चिमाराम जाति जाट निवासी अमर आदर्श नगर, रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बवा 8 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :— 1 श्री रावताराम प्रजापत, वकील प्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 05/07/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमर आदर्श नगर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 136 रकबा 14.7305 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 227/1820 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का 23/910 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 का 1/8 हिस्सा प्रार्थी संख्या 04 का 3/20 हिस्सा व शेष अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का हिस्सा खातेदारी का आया हुआ है। पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर पर वंटवाड़ा हो चुका है। माफिक वंटवाड़ा पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। मौके पर सेढों को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद रहता है जिस कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि में जबरन निर्माण कार्य कर तथा सेढों को तोड़कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल कर भूमि का बिना वंटवाड़ा करवाये बेचान करने पर उतारू है जिस कारण प्रार्थीगण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि को समतल कर अच्छी फसल की तैयार कर रहे है जिससे अप्रार्थीगण विशिष्ठ भाग पर कब्जा कर सडक किनारे भूमि को हडपना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण उसमे सफल होते है तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा अप्रार्थीगण उक्त कार्य में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

उपवर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 06, प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी न करे और न ही काश्त करने से रोके। मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाव प्रस्तुत नही किया लिहाजा वकील अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है, जिसका बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 द्वारा प्रार्थीगण की उपजाऊ भूमि में जबरन रद्दोबदल कर, प्रार्थीगण की भूमि में जबरन घुस कर काश्त करने तथा बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 उसमे सफल रहते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एंव पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसका विधि सम्मत विभाजन नही हुआ है। दि अप्रार्थीगण उसमे सफल होते है तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा अप्रार्थीगण उक्त कार्य में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में मौके की यथा स्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमर आदर्श नगर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 136 रकबा 14.7305 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को पाबन्द किया जाता है कि वाद के निर्णय तक उभय पक्ष किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ), बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/07/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर
(SDO),बाड़मेर